उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की पंचम बैठक दिनांक 08.01.2013 के कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की पंचम बैठक **डा0 बी0एस0 बरफाल अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड** की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2012 को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड कार्यालय – 108/II, वसन्त विहार, देहरादून स्थित 'बोर्ड रूम' में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	डा0 आर0बी0एस0 रावत	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2	डा0 राकेश शाह	सदस्य–सचिव,उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
3	श्री मनोज चन्द्रन	अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
4	डा0 एस0के0 श्रीवास्तव	उपनिदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देहरादून।
5	डा0 वीना चन्द्रा	वैज्ञानिक एफ0, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
6	सुश्री सोनाली बिष्ट	विशेषज्ञ सदस्य, इनहेयर संस्था, मासी बाजार, अल्मोड़ा
7	डा0 रमेश चन्द्रा	संयुक्त निदेशक, गो0ब0पंत, कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर।
8	श्री असीम श्रीवास्तव	वैज्ञानिक–एफ, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून।

इस कार्यालय के पत्रांक–179/जै0वि0बो0, 16–3 दिनांक 16.12.2012 के द्वारा बैठक का **'एजेण्डा नोट'** सभी आमंत्रियों को पूर्व ही प्रेषित कर दिया गया था। उक्त बैठक में विभिन्न बिन्दुओं/एजेण्डा सम्बन्धी विषयों पर हुए विचार–विमर्श का विवरण निम्नवत् है –

1. **एजेण्डा नं0 1 :– बोर्ड के सदस्यों व विशिष्ट आमंत्री का स्वागत एवं बोर्ड की गतिविधियों से परिचय।**

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों/आमंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएँ दी गयी। तत्पश्चात् अध्यक्ष द्वारा संक्षेप में बोर्ड की गतिविधियों से सदस्यों को परिचित कराया गया।

2. **एजेण्डा नं0 2 :– सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 15.05.2012 में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही तथा बोर्ड की गतिविधियों से सदस्यों को अवगत कराना :**

सदस्य–सचिव, द्वारा सर्वप्रथम यह अवगत कराया गया कि बोर्ड की चतुर्थ बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 435/जै0वि0बो0–16–3 दिनांक 04.06.2012 द्वारा समस्त सदस्यों को प्रेषित की गयी थी जिसके सन्दर्भ में किसी भी सदस्य की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः बोर्ड द्वारा उक्त कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 15.5.2012 में बोर्ड द्वारा लिये गये विभिन्न निम्नलिखित निर्णय के सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया गया –

(i) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–12 (i) में दिये गये सुझावों के अनुपालन की सूचना दी गयी।

(ii) सदस्य–सचिव द्वारा पीबीआर बनाये जाने सम्बन्धी बोर्ड के पूर्व निर्णय के अनुक्रम में यह सूचित किया गया कि प्रथम चरण में विकासखण्ड स्तर पर पीबीआर बनाये जाने हेतु 06 चयनित संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस अनुक्रम में यह अग्रेतर अवगत कराया गया कि अब तक 04 विकासखण्ड़ों के पीबीआर की ड्राफ्ट कापी (हिन्दी में) इस कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि चूंकि उक्त 06 विकासखण्ड़ों हेतु निरूपित की जाने वाली पीबीआर को एक मॉडल के रूप में तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया था, अतः प्राप्त ड्राफ्ट पीबीआर का परीक्षण विशेषज्ञों से कराने तथा उसमें वांछित संशोधन के पश्चात् उसे अंतिम रूप देते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

(iii) जैव विविधता विरासतीय स्थलों (Biodiversity Heritage Sites) को अधिसूचित किये जाने से पूर्व उनके प्रारम्भिक अध्ययन का कार्य डा0 चन्द्र सिंह नेगी, सहायक प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग, एल.एस. एम. राजकीय स्नातकोत्तर कालेज, पिथौरागढ़ को सौंपा गया था। इस अनुक्रम में डा0 नेगी को बोर्ड द्वारा 09 Sacred Groves within Reserve Forest तथा 08 Sacred Groves outside Reserve Forests चिन्हित करते हुए उनके सम्बन्ध में प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट (Prelininary Assessment Report) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। बैठक में सदस्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि डा0 नेगी द्वारा 09 Sacred Groves within Reserve Forest के सापेक्ष 06 स्थलों तथा 08 Sacred Groves outside Reserve Gorests स्थलों के सापेक्ष 05 स्थलों की प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है।

डा0 नेगी द्वारा प्रेषित पत्र को सन्दर्भित करते हुए बोर्ड के सदस्यों को यह सूचित किया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के असहयोग/विरोध के कारण 03 Sacred Groves within Reserve Forest तथा 03 Sacred Groves outside Reserve Forests के प्रारम्भिक मूल्यांकन का कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त 02 अन्य Sacred Groves outside Reserve Forests यथा सीमीगीरी सेकेड ग्रोव, बागेश्वर तथा सेराकोट सेकेड ग्रोव, पिथौरागढ़ की प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट डा0 नेगी द्वारा बोर्ड कार्यालय में प्रेषित किये जाने की जानकारी भी मा0 सदस्यों को दी गयी। इस प्रकार डा0 नेगी द्वारा प्रेषित कुल 13 विरासतीय स्थलों (06 Sacred Groves within Reserve Forest तथा 07 Sacred Groves outside Reserve Forests) की प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है। बोर्ड द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया।

विरासतीय स्थलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जैव विविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को बोर्ड के सदस्यों के संज्ञान में लाया गया –

(क) यह कि डा0 नेगी द्वारा Sacred Groves से सम्बन्धित समस्त प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में प्रेषित की गयी है जिसके हिन्दी रूपान्तर की प्रति भी अपेक्षित है जो सम्भवतः ई–मेल से प्राप्त हो चुकी है।

(ख) यह कि डा0 नेगी द्वारा जिन Sacred Groves से सम्बन्धित विरासतीय स्थलों का प्रारम्भिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित किया गया है, उनके सन्दर्भ में सम्बन्धित ग्रामीणों से "No objection Certificate" भी डा0 नेगी द्वारा प्राप्त कर बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

(ग) यह कि आरक्षित वनों (Reserve Forests) में स्थित विरासतीय स्थलों के सम्बन्ध में वन विभाग से "No objection Certificate" प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव पत्र प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

(घ) उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के पश्चात् उन विरासतीय स्थलों के अधिसूचना हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

(iv) सदस्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में बोर्ड के अधिकारियों यथा अध्यक्ष, सदस्य सचिव, प्रशासनिक अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) के वेतन एवं अन्य देय भत्ते आदि का भुगतान उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक,

उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा ही किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(v) सदस्य सचिव द्वारा जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी) के गठन की जानकारी देते हुए यह सूचित किया गया कि वर्ष 2009–10 में 33, 2010–11 में 07, वर्ष 2011–12 में 523 तथा वर्ष 2012–13 में 10 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किया जा चुका है। सदस्य–सचिव द्वारा अग्रेतर यह भी सूचित किया गया कि आगामी वर्षों में 1000 बी0एम0सी0 प्रति वर्ष गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अनुक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि यद्यपि पूर्व में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा बी0एम0सी0 के गठन हेतु निर्देश प्रभागीय वनाधिकारियों को दिये जा चुके हैं, किन्तु इस सन्दर्भ में जैव विविधता बोर्ड के स्तर से फील्ड में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर बी0एम0सी0 गठन सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाना उचित होगा।

(vi) हैदराबाद में दि0 08.10.12 से 19.10.12 के मध्य आयोजित Conference of Parties -11 सम्मेलन में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर से अध्यक्ष, सदस्य सचिव, अनुसंधान अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किये जाने तथा वहां लगाए गये प्रदर्शिनी में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से एक स्टाल लगाये जाने की जानकारी सदस्यगणों को दी गयी। Conference of Parties -11 सम्मेलन हेतु पोस्टर, लीफलेट, फोल्डर, फैक्स स्टैंडी, तथा एक पुस्तक (Threatened Species of Uttarakhand) आदि का प्रकाशन बोर्ड द्वारा कराये जाने की जानकारी दी गयी।

(vii) सदस्य–सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण प्रस्तुत किया गया। पी0बी0आर0 निरूपित किये जाने में धन की कमी सम्बन्धी कठिनाई की ओर ध्यान आकृष्ठ करते हुए बजट कैम्पा फण्ड से प्राप्त किये जाने का सुझाव सदस्य सचिव द्वारा दिया गया। इस सन्दर्भ में उनके द्वारा अन्य राज्यों में कैम्पा फण्ड से धनराशि प्राप्त कर पी0बी0आर0 बनाये जाने की व्यवस्था का उदाहरण दिया गया।

पी0बी0आर0 बनाये जाने के सन्दर्भ में अध्यक्ष द्वारा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण एवं विकास, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित पत्र को उद्धृत करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि वन विभाग की अनुसंधान शाखा के कार्मिकों को प्रशिक्षित/क्षमता विकास कर उनसे पी0बी0आर0 बनाये जाने का कार्य लिये जाने के विषय पर विचार किया जा सकता है।

लोक जैव विविधता पंजिका (पी0बी0आर0) निरूपित किये जाने के सम्बन्ध में **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड** द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये –

(क) पी0बी0आर0 निरूपित किये जाने हेतु सर्वप्रथम स्पष्ट निर्देश/Clarity जैसे किस स्तर पर (ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/विकासखण्ड आदि) तथा कितनी संख्या में बनाया जाना है एवं प्रथम चरण में कौन–कौन से पी0बी0आर0 बनाये जाने की आवश्यकता है।

(ख) उक्त कार्य हेतु पी0बी0आर0 बनाये जाने के दौरान जिन संस्थानों की सहायता ली जानी है उनकी पहचान एवं सूची जिलेवार तैयार की जानी चाहिए।

(ग) पी0बी0आर0 निरूपित किये जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता तय किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा जैसे किस क्षेत्र विशेष की पी0बी0आर0 पहले बनायी जाये।

(घ) पी0बी0आर0 बनाये जाने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को साँचे में ढालते हुए Systematize किया जाये।

(ड.) विभिन्न विभागों/संस्थानों में उपलब्ध सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग पी0बी0आर0 बनाने में किया जाये।

3/6

भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिक **डा0 असीम श्रीवास्तव**, द्वारा यह सूचना दी गयी कि अस्कोट वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिसमें वहां के समीप स्थित 118 ग्राम सम्मिलित हैं। अतः उन क्षेत्रों में पी0बी0आर0 निरूपित किये जाने के सन्दर्भ में भारतीय वन्य जीव संस्थान से भी सहायता लिये जाने की सम्भावना पर विचार किया जा सकता है।

पी0बी0आर0 निरूपित किये जाने में धन की कमी सम्बन्धी कठिनाई के विषय पर **सुश्री सोनाली बिष्ट**, द्वारा यह सुझाव दिया गया कि धन प्राप्ति के सम्बन्ध में विभिन्न कारपोरेट संस्थानों से सम्पर्क किया जा सकता है, क्योंकि "Corporate Social Responsibility Head" के अन्तर्गत उन संस्थानों में बजट उपलब्ध रहता है।

एजेण्डा नं0–3

(i) बैठक में श्री धनंजय प्रसाद, प्रभारी सहायक वन संरक्षक की प्रतिनियुक्ति/तैनाती आदेश उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यालय पत्रांक सं0– 23/जै0वि0बो0–16–2 दिनांक 27.07.2012 के द्वारा अनुसंधान अधिकारी (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) के पद पर किये जाने की सूचना सदस्यों को दी गयी जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।

(ii) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के कार्यालय में दिनांक 07.08.2012 को UNDP-GEF Project के अन्तर्गत गठित Satae level Project steering Committee की बैठक में 07 MPCAs हेतु लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख (BCP) बनाने हेतु उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा सहमति दी गयी थी। इस अनुक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड के पत्रांक–223/एसएमपीबी(यूके)/जीईएफ/2012 दिनांक 29.08.2012 द्वारा रू0 21.00 लाख स्वीकृत तथा रू0 10.50 लाख प्रथम किश्त के रूप में बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करते हुए 07 MPCAs हेतु PBR/BCP निरूपित किये जाने का अनुरोध किया गया है। बैठक में बोर्ड के संज्ञान में यह लाया गया कि उक्त 07 MPCAs हेतु PBR/BCP निरूपित किये जाने हेतु संस्थाओं का चयन निम्न प्रकार किया गया है –

क्र स	चयनित क्षेत्र का नाम व जिला	चयनित संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	झूनी बागेश्वर तथा मोहान, अल्मोड़ा	लोक चेतना मंच	2 x 1.50 लाख = 03.00 लाख
2	कंडारा, उत्तरकाशी	सोसाइटी फोर एक्शन एण्ड माउन्टेन विलेज इकौलोजिकल, डेवलपमेंट एण्ड इनिशियेटिव्स (SAMVEDI)	1.50 लाख
3	बस्तिया, चम्पावत	दि इन्स्टीटयूट ऑफ हिमालयन इनवायरमेंट रिसर्च एण्ड एजूकेशन, (INHERE)	1.50 लाख
4	खलिया, पिथौरागढ़	थियटर फार एजूकेशन इन मास सोसाइटी (TEAM)	1.50 लाख
5	मंडल, चमोली	अलकनन्दा घाटी शिल्पी फेडरेशन (Aagaas)	1.50 लाख
6	गंगी, टिहरी	मातृछाया पर्वतीय विकास समिति	1.50 लाख

बोर्ड द्वारा उक्त कार्यवाही का अनुमोदन सदस्यों द्वारा किया गया।

(iii) जैव विविधता बोर्ड कार्यालय के पत्रांक–45/जै0वि0बो0–33–3 दिनांक 16 अगस्त, 2012 द्वारा ONGC को "Great Himalayan Bird Count-2012" परियोजना सम्बन्धी 07.00 लाख (सात लाख) का प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु ONGC को भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ONGC द्वारा रू0 4.00 लाख प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। परियोजना का मुख्य कार्यक्रम दि0 27.10.12 से 30.10.12 के मध्य सम्पन्न कराया गया जिसमें पक्षियों की गणना की गयी। इस परियोजना से सम्बन्धित अन्य कार्यवाही एवं द्वितीय किश्त की धनराशि ONGC से प्राप्त किये जाने की सूचना बैठक में सदस्यों को दी गयी। बोर्ड द्वारा उक्त परियोजना हेतु सहमति प्रदान की गयी।

(iv) Conference of Parties -11 सम्मेलन हेतु पोस्टर, लीफलेट, फोल्डर, फैक्स स्टैंडी, तथा एक पुस्तक (Threatened Species of Uttarakhand) आदि का प्रकाशन कराये जाने का सहर्ष अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया।

Threatened Species of Uttarakhand नामक पुस्तक के सन्दर्भ में बोर्ड के सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि उक्त पुस्तक का संशोधन समय–समय पर एवं आवश्यकतानुसार Threatened Species से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने पर किया जाना उचित होगा।

4. एजेण्डा नं0–4 : Biodiversity Strategy and Action Plan (BSAP) से सम्बन्धित कार्यवाही

BSAP के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसकी सॉफ्ट कापी बोर्ड के सदस्यों को प्रेषित करते हुए उनसे सुझाव मांगे गये हैं। अध्यक्ष द्वारा बोर्ड को अवगत् कराया गया कि बोर्ड के सदस्यों से सुझाव प्राप्त होने एवं वांछित संशोधन किये जाने तथा बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात् BSAP को Technical Report के रूप में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में बोर्ड द्वारा अनुमोदित BSAP ड्राफ्ट शासन के अनुमोदनार्थ/विज्ञप्ति हेतु भी भेजी जाये। इसके अतिरिक्त BSAP, उत्तराखण्ड को ध्यान में रखते हुए "अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक" (International Decade of Biodiversity) 2011–20 में किये जाने वाले कार्यों को चिन्हित करते हुए उक्त 2011–20 की अवधि हेतु एक एक्शन प्लान भी बनाया जाये जिसमें Aichi Conference में चिहिन्त बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाये।

5. **एजेण्डा नं0–5 : Kailash Sacred Landscape Conservation & Development (KSLCD) अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत जैव विविधता विषय सम्बन्धी कार्यवाही उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया जाना।**

अध्यक्ष द्वारा बैठक में सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि भारत, चीन एवं नेपाल के सहयोग KSLCD अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना से सम्बन्धित कार्यवाही ICIMOD द्वारा किया जा रहा है, जो 5 वर्षों (2012 से 2016) के मध्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना हेतु G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development (IHED) को Lead Technical Institution बनाया गया है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़ जिले के क्षेत्र मात्र ही सम्मिलित किये गये हैं। उक्त परियोजना से सम्बन्धित बैठक दिनांक 30 तथा 31.10.2012 को IHED, कोसी कटारमल में आयोजित की गयी थी जिसमें अध्यक्ष द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था। बैठक में उक्त परियोजना के अन्तर्गत Access and benefit Sharing for development of resilient communities से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को दिये जाने का निर्णय लिया गया –

5/6

(i) Formation of BMC at select pilot sites and preparation of PBR
(ii) Capacity Buliding of BMC and civil society members
(iii) Preparation of awarerness raising materials on indigenous and on-going national ABS Process
(iv) Documentation of indigenous knowledge associated with Biodiversity
(v) Support to countries for adherence to the CBD through implementation of ABS mechanism.

6. **एजेण्डा नं0–6 : वाहन क्रय किये जाने सम्बन्धी।**

बोर्ड कार्यालय के कार्य संचालन हेतु डी.जी.एस. एण्ड डी की दर के आधार पर महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0 से एक बोलेरो LX2W 7STR Diesel नान ए0सी0 जीप रू0 5,34,507/– मात्र में क्रय किये जाने सम्बन्धी जानकारी बोर्ड के सदस्यों को दी गयी। बोर्ड द्वारा उक्त जीप क्रय किये जाने का अनुमोदन किया गया।

7. **सदस्यों से प्राप्त अन्य सुझाव :**

i. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा यह सुझाव दिया गया कि घरेलू प्रजातियों (Domesticated Species) के Wild Cultivars के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अनुक्रम में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित किये जाने चाहिए। विशेषज्ञों से प्राप्त सुझाव पर समिति के सदस्यों द्वारा विचार कर Wild Cultivars के स्थानों के संरक्षण हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।

ii. राज्य स्तर पर जैव विविधता पंजिका (PBR Guidelines) पर एक Brainstorming Session का आयोजन किया जाए जिसमें कि राज्य के मुख्य संस्थान प्रतिभागी हों। इस प्रकार हर संस्थान की विशेषताओं को ध्यान में रखकर पीबीआर बनाने सम्बन्धी कार्य को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून के **धन्यवाद** के साथ बैठक का समापन हुआ।

अनुमोदित

(डा0 बी0एस0 बरफाल)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

(डा0 राकेश शाह)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

6/6